राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह

जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड़,जयपुर

ई मेलः—jaipurmrhome@gmail.com

क्रमांक दिनांक

खुली निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की और से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुन्र्वास गृह, जयपुर में आवासित बालक—बालिकाओं के लिये निम्न सेवा के लिये मुहरबंद निविदाए आमंत्रित की जाती हैः—

क्र. सं.	NITसं.	सेवा का विवरण मात्रा	अवधि	अनुमानित लागत	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अन्तिम तिथि	भरे हुए निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	3/2015—16	मानसिक विमंदित गृह जयपुर के भवन व परिसर की सफाई कराने का कार्य (जॉब बेसिस पर)	एक वर्ष	1800000	36000	08.01.2016 5 PM	11.01.2016 1 PM	11.01.2016 2 PM

निविदा प्रपत्र 400/— नकद जमा करा कर कार्यालय समय में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 08.01.16 को 5 PM तक प्राप्त किये जा सकते है। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट sppp. rajasthan.gov..in एवं विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov..in पर एवं कार्यालय समय में कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोटः—1. एक बार जमा कराया गया निविदा शुल्क लौटाया नही जायेगा।

2. निविदा प्रपत्र वेबसाईट sppp .rajasthan.gov..inएवं विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov..in से डाउन लोड किया जा सकता है।

3. निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउन लोड करने पर निविदा प्रपत्र की राशि निविदा के साथ डीडी./बैकर्स चेक के माध्यम से जो अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह के नाम पर हो, संलग्न किया जावें अन्यथा निविदा फार्म रदद कर दिया जायेगा।

अधीक्षक

क्रमांक 852-58 दिनांकः—16-12-2015

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को एक राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र जिसका प्रसारण 50,000 प्रतियां या अधिक हो एवं एक क्षैत्रीय समाचार पत्र में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित करावें।
2. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, विशेष योग्यजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान निजी सचिव,निदेशक महोदय निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर।
4. श्रीमान लेखाधिकारी निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर को भेज कर निवेदन है कि राज्य उपापन पोर्टल sppp. rajasthan.gov.in पर अप लोड करवाने का श्रम करें।
5. नोटिस बोर्ड
6. कार्यालय नोटिस बोर्ड
7. ACP सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेज कर लेख है कि विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov.in पर अप लोड करवाने का श्रम करें।

अधीक्षक

अधीक्षक
मानसिक विमन्दित महिला एवं
बाल कल्याण पुनर्वास गृह

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड़,जयपुर
निविदा फार्म (बोली डाटा शीट) ई मेलः–jaipurmrhome@gmail.com

निविदा फार्म

1. विषयः सफाई कार्य व्यवस्था जॉब बेसिस पर कराने के लिये निविदा।
2. निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता..
3. निविदादाता फर्म /संवेदक का फोन एवं मोबाइल नम्बर...
4. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक –...03/2015–16 दिनांक...............................
5. निविदा शुल्क की राशि 400/–अक्षरे चार सौ मात्र नकद (रसीद संख्या/डी.डी. /बैकर्स चैक नम्बर............................दिनांक ....के द्वारा जमा करा दी गयी है।
6. हम अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, विशेष योग्यजन विभाग, जामडोली जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या 03/2015–16 दिनांक.11-12-15..में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट(इनके सभी पृष्टों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है)मे दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
7. सफाई के कार्य बाबत हमारी दर निम्न प्रकार है:–

क्र. स.	कार्य का विवरण	मासिक दर	विवि
1.	सम्पूर्ण विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह एवं उसके परिसर की जॉब बेसिस पर सफाई कार्य व्यवस्था (मय सफाई सामग्री)	सफाई सामग्री, समस्त करों एवं आनुषगिक प्रभारों के सहित सफाई कार्य के लिये मासिक दर कुल रूपये... अक्षरे	

8. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 7 दिवस की अवधि के भीतर सफाई कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।
9. संविदा मूल्य की 50 प्रतिशत तक अधिक राशि का कार्य आदेश निविदा शर्तो के अनुसार क्रय समिति के अधीन बढाया जा सकता है।
10. निविदा प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है, उसके बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
    1. श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र।
    2. अनुभव प्रमाण पत्र।
    3. अर्नेस्टमनी।

4. सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र।

5. आय कर विभाग द्वारा जारी पैन न. प्रमाण पत्र।

11. बयाना राशि रूपये 36000/–अक्षरे छतीस हजार मात्र के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या.................................जो (बैंक का नाम).. ....पर आहरित किया गया है/नकद रसीद संख्या...................../ चालान संख्या.......................और दिनांक .... रूपये ....संलग्न है।

12. सेवा प्रदाय करने हेतु श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या ....दिनांक ....वैद्यता अवधि...................की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

13. आयकर स्थाई खाता संख्या...

14. सर्विस टैक्स पंजीयन संख्या...दिनांक................................

15. अन्य संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करे)

1.

2.

3.

4.

5.

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर मय नाम

प्रतिबन्ध एवं शर्ते

टिप्पणी :- निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदायें भेजते समय इन्हे पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये।

1.निविदाओं को निविदा सूचना मे दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहर बन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये तथा लिफाफे पर "सफाई कार्य व्यवस्था हेतु निविदा"अंकित करना होगा।

2.व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओं पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

3.निविदादाता को अनुमानित लागत रू 1800000/- का 2 प्रतिशत राशि रू 36000/-बयाना राशि (अर्नेस्टमनी) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के द्वारा अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह के नाम निविदा पत्र के साथ जमा करानी होगी। बिना बयाना राशि जमा कराये निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

4.निविदादाताओं को अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। जिनको पूर्व में राजकीय कार्यालयों या अर्द्वशासकीय कार्यालयों भवनों, विशेषकर चिकित्सालय भवनों या प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में सफाई कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव हो, संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा।

5.फर्म आदि के गठन को किसी भी परिर्वतन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबन्धित फर्म/संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिर्वतन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नही किया जावेगा। संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब स्वीकार नही किया जावेगा जबकि वे इसकी समस्त शर्तो को माननें के लिये बाध्य नही हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार को रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये प्र्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगीं।

6.निविदादाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंको एवं शब्दो दोनो में लिखनी चाहियें। निविदा के प्रत्येक पृष्ट एवं कांट छांट पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र वालपेन या टंकण से भरा जावेगा।

7.मोहर बंद निविदा प्रपत्र मय सलग्नों के साथ दिनांक 11.01.2016 को 1:00 बजे दोपहर तक अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जयपुर के कार्यालय में/कार्यालय में रखे टेण्डर बाक्स में पहुंच जानी चाहियें। निविदाये उसी दिन दिनांक 11.01.2016 को दोपहर 2:00 बजे समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

8.विधि मान्यता: निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।

9.ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नही सौपेगा या उप भाडे (सबलैट) पर नही देगा।

10. निविदादाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

11.असफल निविदादाता को बयाना राशि एक माह में (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) वापस कर दी जायेगी।

12.करार एवं प्रतिभूति निक्षेप:-

i सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार 1000/-रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदाये स्वीकार की गई है। उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी।

ii निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जा सकेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में बयाना राशि से कम की नही होगी।

iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

iv प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगें:-

(क) नकद/बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति।

(ख) डाक घर बचत बैक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।

(ग) अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओ के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, ड़िफेंस सेवगिस सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जावेगा।

v करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

vi प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नही है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

13.बयाना राशि का समपहरण बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जायेगा:-

i जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें रूपान्तरण करता है।

ii जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को,यदि कोई हो निष्पादित नही करता हो।

iii जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो।

iv जब वह विहीत समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता हों।

14. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण: प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नालिखित मामलों में समपहत कर लिया जावेगा:-

i जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

iii प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस किया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

15.ठेकेदार द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

16.ठेके की अवधि एक वर्ष तक मान्य होगी। कार्य के संतोषप्रदहोने पर विभाग अधिकतम 6माह के लिये उन्ही दरो पर ठेका अवधि बढा सकेगा। जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा।

17.कार्मिकों को विभाग द्वारा निधारित युनिफोर्म में आना होगा। महिला कर्मिको के लिए नीली प्लेन साडीं, नीला ब्लाऊज अथवा नीली सलवार सूट तथा पुरूषों के लिए नीली पेन्ट एंव शर्ट अनिवार्य होगी। वस्त्रों पर फर्म एवं स्वयं के नाम का वेज लगाना अनिवार्य होगा। युनिफोर्म व वेज संवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

18.ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/दस्तावेजों में कोई त्रृटि/असत्यता पायी जाने पर निविदा को रदद करने का अधिकार निदेशक विशेष योग्यजन को होगा। (जो अधीक्षक की अनुशंषा किया जाने पर) आवश्यकता होने पर निविदा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की फोटो प्रतियों के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।

19.सरकार द्वारा विहित सेवा कर (सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर आदि फर्म द्वारा ही वहन किये जावेगें एवं सरकार के नियमानुसार श्रम कानून PF एवं ESI आदि नियमो की पालना सुनिश्चित की जावें। नियमानुसार PF नियोक्ताअशंदान व कर्मचारी अशंदान-के भुगतान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, इस हेतु राज्य सरकार किसी भी तरह उत्तरदायी नही होगी। इसी अनुसार अपनी दरें प्रस्तुत करें।

20.भुगतानः—भुगतान अग्रिम नही किया जायेगा। जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

21.यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जायेगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

22.क्रय समिति किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन कार्यो के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

23.निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः—

i यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभिप्रमाणित प्रति।

ii यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

iii एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता टेलीफोन नंबर।

iv कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

24.ठेके से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होने पर उस विवाद पर विभाग का निर्णय अंतिम होगा, जिससे ठेकेदार को मानना होगा। ठेकेदार द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर विभाग को ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा। तथा शेष अवधि के लिये कार्य अन्य ठेकेदार से मूल ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर करवाया जावेगा। समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नही की जायेगी।

25.संस्था में सफाई के कार्य का किसी भी दिन अवकाश नही रहेगा। सफाई की व्यवस्था के लिये अधीक्षक द्वारा दिये गये समस्त आदेशों की ठेकेदार द्वारा पालना की जावेगीं।

26.निविदा प्रपत्र में आपूर्ति अवधि के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा। तथा सफल निविदादाता को अधीक्षक द्वारा दिये गये आपूर्ति आदेश के अनुसार सफाई कार्य करना होगा। निर्धारित समय के विलम्ब पर निम्नानुसार परिनिर्धारित/क्षति देय होगी:-

अ विहित किसी भी स्थान की सफाई में एक घन्टे के विलम्ब के लिये उस दिन की देय राशि का 2.5 प्रतिशत

ब किसी भी स्थान की सफाई में दो घन्टे के विलम्ब के लिये उस दिन की देय राशि का 5 प्रतिशत

स किसी भी स्थान की सफाई में दो घन्टे के विलम्ब के लिये उस दिन की देय राशि का 7.5 प्रतिशत

द किसी भी स्थान की सफाई में दो घन्टे के विलम्ब के लिये उस दिन की देय राशि का 10 प्रतिशत

27.सफाई कार्य की व्यवस्था 24 घन्टे के लिये लगातार बनाये रखना होगा। इस हेतु संबंधित ठेकेदार को 25 सफाई कर्मियों का उचित नियोजन तीन पारियो में 24 घन्टे के लिये करना आवश्यक होगा। महिला विंग में महिला सफाई कर्मी एवं पुरूष विंग में पुरूष कर्मियों से सफाई कार्य कराना होगा।

28-i ठेकेदार को संस्था भवन में पूर्ण स्वच्छता रखनी होगी।

ii ठेकेदार द्वारा भवन की समस्त सीढियों की रैलिंग की सफाई भी प्रतिदिन करानी होगी।

iii ठेकेदार द्वारा भवन के समस्त कमरों,पोर्च की खिडकियों के शीशे, खिडकियों के बेस,शीशों के दरवाजे एवं अन्य समस्त दरवाजों एवं खिडकियों की सफाई प्रत्येक माह में दो बार करानी होगी। यह सफाई कार्य कार्यालय समय में ही करानी होगी।

iv ठेकेदार द्वारा छत पर स्थित पानी की टंकियों की धुलाई व सफाई साबुन/सर्फ के पानी से प्रत्येक माह में एक बार करानी होगी।

v ठेकेदार द्वारा भवन की छत की सफाई का कार्य भी माह में एक बार कराना होगा।

vi ठेकेदार द्वारा भवन में स्थापित वाटर कूलरों की टंकियों की सफाई व धुलाई प्रत्येक माह में एक बार करानी होगी।

vii ठेकेदार द्वारा समस्त कमरों में स्थित ट्यूब लाईट, फिक्सचर, पंखे, लाईटे इत्यादि की सफाई 3 माह में एक बार करनी होगी।

viii भवन के समस्त शौचालयों के सेनेटरी पाईप जी.आई.पाईप वाशबेसिनों के पाईप मूत्रालयों की टंकियों एवं समस्त सेनेटरी पाईपों एवं सीवरेज की देखभाल की जिम्मेदारी संवेदक की होगी यदि कोई सामान टूट फूट जाता है तो उसके लिये संवेदक का उतरदायित्व होगा। इस हेतु मशीन एवं सामग्री की व्यवस्था व भार संवेदक का होगा।

ix ठेकेदार द्वारा भवन की सफाई करने के प्श्चात कूडा कडकट एवं रसोई से उत्पन्न वेस्ट कचरे को उचित स्थान पर उपयुक्त तरीके से नष्ट करने/बाहर उचित स्थान पर (नगर निगम के कचरा पात्र) में डालने की व्यवस्था करनी होगी।

x ठेकेदार द्वारा परिसर में पडे गद्दे/बिस्तर/पलंग/दरी/चटाई पर लगी मल मूत्र एवं आवासियों की सफाई भी करनी होगी।

xi परिसर के सामने स्थित सम्पूग्र गार्डन के पौधों व घास की सफाई आदि कार्य भी ठेकेदार फर्म को करने होगें।

29-i ठेकेदार द्वारा सफाई कार्य में आईएसआई ऐगमार्क/अच्छे किस्म के सभी प्रकार के केमीकल्स,फर्श साफ करने का शेम्पू, फिनाइल,वाशिंग पाउडर, नमक का तेजाब,रूम फ्रेशनर, टॉयलेट क्लीनर, वातावरण सुगन्धित द्रव्य आदि प्रयोग में लिये जायेगें।अधीक्षक प्रत्येक समय सफाई सामग्री की उपलब्धत सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें।

ii ठेकेदार द्वारा प्रमिमाह की प्रथम तारीख को निम्नानुसार सफाई सामग्री कार्यालय स्टोर में जमा करवानी होगी–आई एसआई ऐगमार्क फिनाइल 200 लीटर, कलंजो 30 लीटर, टॉयलेट क्लीनर 10 लीटर, वाशिंग पावडर 50 किलो, सोडा 1 किलो, कास्टीक सोडा 1किलो, हिट 8 बोतल 500 मी.ली. वाली, रूम स्प्रे 6 बोतल 250 मीली.वाली, एयर फ्रेशनर 10 टिकिया, फर्श क्लीनर 30 लीटर लिक्वीड हैण्डवाश 4 बोतल 250 मी.ली. वाली,सफाई कार्य में आने वाली सभी सामग्री एवं उपकरण यथा झाडू, फूल झाडू पोछा,वाईपर, कचरा पात्र,सण पोछा, सफाई ब्रश आदि संस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिमाह प्रथम तारीख को उपलब्ध करवाना होगा। अगर प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को यह सामान ठेकेदार द्वारा संस्था में जमा नही कराया गया तो संस्था द्वारा अपने स्तर पर सामान क्रय कर ठेकेदार से उस की राशि मय पेनल्टी वसूल की जायेगी।

30.आवासी के बीमार होने पर, अस्पताल में भर्ती होने पर उनकी अस्पताल में सफाई कार्य करना, आदि सम्मिलित है।

31.फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सफाई कर्मी अपराधी/नैतिक पतन के दोषी व्यक्ति नही होने चाहियें।

32.सफाई का कार्य करते समय यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या दुर्धटना हो जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लिये मुआवजा आदि देने का भार संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिये किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार/उतरदायी नही होगा।

33.निरीक्षण के समय फर्म से संबंधित कार्य में किसी प्रकार की कमी पायें जाने पर निरीक्षण विजिट में लिखे गये वृतान्त के आधार पर अधीक्षक की टिप्पणी करने के बाद प्रत्येक अवसर के लिये अधिकतम राशि रूपये 2000/–की कटौती की जावेगी।

34.फर्म/संवेदक द्वारा नियुक्त कर्मचारीको दैनिक मजदूरी का भुगतान नियमानुसार करना होगा जो न्यूनतम मजदूरी से कम नही होगा। फर्म को अगले माह का भुगतान, गत माह के भुगतान करने रसीद/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जावेगा। संवेदक को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना का सुनिश्चियन करना होगा। इसके लिये वह व्यक्तिश जिम्मेदार होगा।

35.ठेके की अवधि में किसी भी कारणवश सफाई कार्य बाधित होता है तो विभाग द्वारा अपने स्तर पर संवेदक की जोखिम व लागत पर अन्य किसी ठेकेदार से कार्य करवा सकेगा। जिसकी अन्तर राशि मूल संवेदक की जोखिम व लागत पर अन्य किसी ठेकेदार को देय मासिक बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि में से समायोजित कर ली जावेगी।

36.सवेदक द्वारा नियुक्ति से पूर्व सफाई कर्मचारियों के निवास/स्थायी पते का पूर्ण विवरण मय वांछित दस्तावेजों के उपलब्ध कराना होगा एवं अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र अथवा उनकी फोटो सहित उपलब्ध कराना होगा। ठेकेदार द्वारा सुरक्षा कर्मचारी को उपस्थिति पंजिका में सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करानी होगी। बिना पहचान पत्र संस्था में प्रवेश नही दिया जायेगा। समस्त कर्मिको का पुलिस से सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।

37.संवेदक द्वारा निविदा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जॉब बेसिस पर सफाई कार्य व्यवस्था में लगाये जाने वाले सफाई कर्मियों की निवास/स्थाई पते का पूर्ण विवरण मय फोटो के अधीक्षक को उपलब्ध कराना होगा। अधीक्षक प्रतिदिन जॉब बेसिस पर सफाई कार्य व्यवस्था के तहत ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये सफाई कर्मियों की संख्या/उपस्थिति अंकित की जायेगी। ताकि सफाई कार्य की प्रभावी रूप से मानिटरिगं की सके।

38.फर्म को किए जाने वाले भुगतान में से नियमानुसार आयकर एवं कर यदि कोई हो, की कटोती की जवेगी।

(हस्ताक्षर निविदादाता)